उत्तरांचल शासन
समाज(सैनिक) कल्याण अनुभाग
संख्याः 246–सै.क.–02–71(सैनिक कल्याण)/2002
देहरादूनः दिनांकः 04 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

महामहिम श्री राज्यपाल "उत्तरांचल राज्य सैनिक कल्याण परिषद" का निम्न रूपेण गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. अध्यक्ष — मुख्य मंत्री जी
   वरिष्ठ उपाध्यक्ष — मंत्री जी सैनिक कल्याण, उत्तरांचल
   उपाध्यक्ष — जी.ओ.सी. इन सी. सेन्टर कमाण्ड लखनऊ (उत्तरांचल सेन्ट्रल कमाण्ड लखनऊ के अन्तर्गत आता है)

2 सदस्य(पदेन)

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन
2. प्रमुख सचिव, समाज एवं सैनिक कल्याण
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तरांचल शासन
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तरांचल शासन
5. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन
6. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तरांचल शासन
7. सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तरांचल शासन
8. सचिव, आवास विभाग, उत्तराचंल शासन
9. सचिव, पेयजल, उत्तरांचल शासन
10. सचिव, श्रम विभाग, उत्तरांचल शासन
11. सचिव, खादी ग्रामोद्योग, उत्तरांचल शासन
12. सचिव, शिक्षा, उत्तरांचल शासन
13. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन
14. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तरांचल शासन
15. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन
16. सचिव, सिंचाई उत्तरांचल शासन
17. सचिव, चिकित्सा, उत्तरांचल शासन
18. सचिव, पर्यटन, उत्तरांचल शासन
19. सचिव, आबकारी, उत्तरांचल शासन
20. सचिव, दुग्ध विकास, मत्स्य, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल शासन
21. सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तरांचल शासन

3 लोकल फोरमेशन कमाण्डर्स

1. कमान्डर उत्तरांचल सब एरिया, कमाण्ड देहरादून
2. जनरल आफिसर कमान्डिंग, उत्तरांचल एरिया बरेली.

3. महानिदेशक, पुनर्वास, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
4. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली

नोट: महानिदेशक पुनर्वास/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, को बैठक हेतु विशेष रूप से आमंत्रित किया जायेगा।

4. गैर सरकारी सदस्य (भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि)

1	एयर मार्शल बी.डी.जयाल, पी.वी.एस.एम, ए.वी.एस.एम	देहरादून
2	ले. जनरल जे. एस. रावत पी.वी.एस.एम, वी.एस.एम.	रूड़की
3	ले. कर्नल एच.एस. रौतेला	पिथौरागढ़
4	ले. कर्नल एस. एस. नेगी	अल्मोड़ा

5 प्रमुख नागरिक(मा. सदस्य विधान सभा)

1 डा. अनुसुया प्रसाद मैखुरी — बद्रीनाथ, गढ़वाल क्षेत्र
2. श्री गणेश प्रसाद गोदियाल — थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र

6 सचिव

निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल

7 कार्य कलाप

1. परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद के गठन की तिथि से दो वर्ष का होगा।

2. निदेशालय सैनिक कल्याण, उत्तराचंल में राज्य सैनिक परिषद का कार्यालय एवं मुख्यालय देहरादून में होगा। निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल परिषद के पदेन सचिव होगें जो इसकी बैठकों के संयोजक होगें।

3. परिषद के अन्य पदेन सदस्यों में राज्य सरकार आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेगी।

4. समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सैनिकों के कल्याणार्थ एवं पुनर्वास हेतु गठित कमेटी, उप समिति एवं उच्च स्तरीय समितियों की संस्तुतियों के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से लागू कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

5. भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा अन्य कल्याण सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करना तथा राज्य सरकार को उनके निराकरण के संबंध में संस्तुति देना।

6. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों तथा सेवारत सैनिकों के लिये आरम्भ की गयी विभिन्न कल्याण एवं पुनर्वास योजनाओं का विस्तार कराना एवं उनके वास्तविक कार्यान्वयन पर निगाह रखना।

7. भूतपूर्व सैनिकों द्वारा विभिन्न विद्यमान अथवा बनायी जाने वाली औद्योगिक और भूमि सहकारी समितियों के विषय में आवश्यक सलाह और सहायता देना।

8. राज्य और जिला सैनिक बोर्डों के अध्यक्षों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से इस बात को ध्यान में रखते हुये सम्पर्क रखना कि भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत कार्मिकों और उनके परिवारों को विभिन्न प्राधिकारियों से शीघ्रता से आवश्यक सहायता मिल सके और वे अपनी शिकायतों को दूर करा सकें।

9. उपर्युक्त दायित्वों को राज्य सरकार के समक्ष निरन्तर रखना जिसके कार्यकारी और वित्तीय उत्तरदायित्व के विषय में आदेश पारित हो सके।

10. यह सुनिश्चित करना कि निम्नलिखित के कल्याण और प्रभावशाली पुनर्वास और असैनिक क्षेत्र में रोजगार से सम्बन्धित बातों की जानकारी पुनर्वास महानिदेशालय को मिलती रहें:–

    1. सेवारत सैनिकों के परिवार/आश्रित
    2. सेवाकाल में मृत अथवा घायल होने वालों के परिवार और उनके आश्रित
    3. भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार।

    सम्बन्धित विभागों द्वारा कमियां दूर करने के लिये की गयी कार्यवाही विचाराधीन प्रस्ताव और जारी किये गये आदेशों की जानकारी भी शामिल होगी।

11. भूतपूर्व सैनिकों परिवारों तथा सेवारत कार्मिकों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन हेतु शासन को प्रस्तुत करना ।

12. भूतपूर्व सैनिकों और सेना के वर्तमान सैनिकों के कुटुम्ब के कल्याण के लिये साधनों को बढ़ाया तथा भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वासित करने हेतु प्रोत्साहित करना।

13. देश में सशस्त्र सेनाओं के संबंध में साधारण जनता में सूचना का प्रसार करना तथा सामान्य जनता में सेनाओं के प्रति बुद्धियुक्त अभिरूचि जागृत करने की प्रभावी योजनाओं की संस्तुति देना।

14. सिविल प्राधिकारियों से ऐसे भी विषयों के बारे में निवेदन करना और समझना जो सैनिक वर्गों के लिए महत्व के अथवा हितकर हो और जिनके सम्बन्ध में राज्य शासन का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक हो।

15. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के माध्यम से उपर्युक्त प्राधिकारियों के समक्ष सैनिक सेवा के सभी वर्गों के व्यक्तियों की आवश्यकताओं और कठिनाईयों को प्रस्तुत करके उनकी सहायता करना।

16. निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तरांचल तथा उत्तरांचल सैनिक पुनर्वास निधि के न्यासियों/ट्रस्टियों के निकट सम्पर्क में ऐसी योजनाओं को चलाने के लिये कार्य करना जो भूतपूर्व सैनिकों को फिर से नौकरी दिलाने में सहायक हों और उद्योग धन्धों में लगाने के निमित्त ऐसी सरकारी समितियों की स्थापना तथा अन्य योजनाओं/स्कीमों के लिये हो जिनका प्रारम्भ भूतपूर्व सैनिकों के लाभार्थ किया गया है।

17. सैनिक प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना और ऐसे विषयों को उनके समक्ष प्रस्तुत करना जो भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में हो और जिन पर उनका ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक हो।

8 वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–3 के नियम–2 (बी) के अन्तर्गत परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिये की गई यात्रा के लिये नियमानुसार अनुमन्य श्रेणी का यात्रा तथा दैनिक भत्ता देय होगा। यह भत्ता सामान्य निवास स्थान से बैठक के स्थान तथा सामान्य निवास स्थान की वापसी की यात्रा के लिये अनुमन्य होगा। यदि यात्रा भत्ता रेल टिकट रियायती दर पर उपलब्ध होगें तो यात्रा भत्ता रेल के वास्तविक किराये व देय प्रसांगिक व्यय के बराबर होगा। सदस्य विधान सभा/संसद सदस्यों को रेल किराया देय नही होगा, वरन प्रासंगिक व्यय देय होगा। यात्रा तथा दैनिक भत्ता उक्त नियम के नीचे अंकित नोट 1 से 4 तक के प्राविधानों के अन्तर्गत होगें। सरकारी सदस्यों को अपने विभागीय आय–व्ययक से यात्रा भत्ता प्राप्त होगा। गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता देने के लिये निदेशक सैनिक कल्याण नियंत्रक अधिकारी होगें।

(आर. के. वर्मा)
सचिव

संख्याः 246–सै.क.–02–71(सैनिक कल्याण)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल को इस आशय से कि इस आदेश की प्रति समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों एवं समस्त सदस्यों/नामित सदस्यों को अपने स्तर से सूचनार्थ प्रेषित करें।
2 सचिव, केन्द्रीय सैनिक परिषद भारत सरकार रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली।

आज्ञा से

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

संख्याः 246–सै.क.–02–71(सैनिक कल्याण)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की(हरिद्वार) को एक प्रति इस आशय से प्रेषित कि राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 1000 प्रतियाँ समाज(सैनिक) कल्याण अनुभाग उत्तरांचल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव